प्रेषकः

सत्यदेव गुप्ता,
विशेष न्यायाधीश एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट, बरेली।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा : माननीय जनपद न्यायाधीश,
बरेली।

विषय : वृन्दावन योजना संख्या–3 नामक मुहल्ले के सेक्टर– 12 ए भूखण्ड पर निर्मित एक किता मकान सं0–12ए / 10 एस0एफ0एस0(99 / 200 प्रकार) सेमी फिनिश्ड भवन अचल सम्पत्ति क्रय करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0–25 / एडमिन(ए) 13 जुलाई 1998 के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप में अनुमति दिये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा वृन्दावन योजना संख्या–3 नामक मुहल्ले के सेक्टर–12ए भूखण्ड पर निर्मित एक किता मकान सं0–12ए / 10 एस0एफ0एस0(99 / 200 प्रकार) सेमी फिनिश्ड भवन जिसका क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर है तथा 99 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा निर्मित सेमी फिनिश्ड भवन है। जिसके मालिक कन्सूराम पुत्र श्री सीतम राम वर्तमान पता 21, ए उद्यान पीलीभीत बाईपास रोड़, महानगर बरेली से मकान को खरीदने का इकरारनामा अंकन रूपये–60,00,000 / –में किया है। जिसके सम्बंध में वांछित सूचनाएँ सर्कुलर नं0– 25 / एडमिन(ए) 13 जुलाई 1998 के अनुसार बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या एक– 25.06.2001

नोट :–उ0प्र0 न्यायिक सेवा में पदभार ग्रहण करने से पूर्व दिनांक 13.02.1995 से दिनांक 21.06.2021 तक सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर मध्य प्रदेश गृह (पुलिस) विभाग में मध्य प्रदेश शासन के अर्न्तगत सेवारत।

बिन्दु संख्या दो– वर्तमान कुल वेतन रूपये–201011 / –तथा शुद्ध वेतन रूपये–145611 / – है।

बिन्दु संख्या तीन– प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.02.2006 को वैगनआर मारूति कार पंजीकरण संख्या–यू0पी0–12एल–7284 रूपये–378554 / –मात्र में की गई थी, जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को दिनांक 27.03.2006 को दी गयी है। प्रार्थी द्वारा एक रिवाल्बर दिनांक 25.11.2014 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दी गयी अनुमति दिनांकित 31.10.2014 के उपरान्त मुबलिग रूपये–87012 / –मात्र में क्रय की गयी है। प्रार्थी द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ से दिनांक 09.12.2011 को मुबलिग रूपये–1401385 / –मात्र में वृन्दावन योजना सं0–3 सेमी फिनिश्ड भवन सं0–12ए / 127 क्रय किया गया है जिसकी सूचना माननीय उच्च न्यायालय को दिनांक 09.03.2012 को दी गयी है।

बिन्दु संख्या चार– प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम अभी तक नहीं लिया गया है।

बिन्दु संख्या पॉच– प्रार्थी के उपर कोई बैंक ऋण नहीं है।

बिन्दु संख्या छः– प्रार्थी मकान क्रय कर रहा है अतः यह बिन्दु प्रार्थी पर लागू नहीं होता है।

बिन्दु संख्या सात– प्रार्थी जिस मकान को क्रय कर रहा है उसका कुल क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर है 99 वर्गमीटर पर सेमी फिनिश्डि भवन नियत प्राधिकरण उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद लखनऊ द्वारा ही निर्मित है। वर्तमान में उक्त सम्पत्ति का सर्किल रेट रूपये 23,000 / –मात्र प्रति वर्ग मीटर तथा निर्माण दर मुबलिग रूपये–12000 / –मात्र प्रति वर्ग मीटर है।

18/02/2022

बिन्दु संख्या आठ– उक्त भवन के स्वामी कन्सूराम पुत्र श्री सीतमराम 21ए, उद्यान पीलीभीत बाईपास रोड, महानगर बरेली में निवास करते है।

बिन्दु संख्या नौ– विकेता सम्मानित व्यक्ति है। विकेता उ0प्र0 सरकार के सेवायोजन में चिकित्सक के पद से सेवानिवृत्त है तथा वर्तमान समय में रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज बरेली में चिकित्सक के पद पर तैनात है।

बिन्दु संख्या दस– उपरोक्त विकेतागण, प्रार्थी (न्यायिक अधिकारी) से किसी भी प्रकार से सम्बंधित नहीं है और न ही उक्त विकेता के विरूद्ध कोई वाद प्रार्थी के न्यायालय में लम्बित है और न ही प्रार्थी द्वारा उनसे सम्बंधित कोई वाद कहीं भी और कभी भी निर्णीत किया गया है।

बिन्दु संख्या ग्यारह– प्रार्थी ने विकेतागण के साथ उक्त सम्पत्ति को रूपये–60,00,000/–मात्र में कय करने का इकरारनामा किया है तथा सम्पत्ति की खरीद पर रूपये–4,05,160/–मात्र के स्टाम्प लगेगा। इस प्रकार कुल कय व्यय रूपये–64,05,160/–मात्र होगा, जिसमें से रूपये–15,00,000/–मात्र प्रार्थी अपने बचत खाता सं0–11189160820 से भुगतान करेगा। मेरी माता श्रीमती लीलावती देवी दिनांक 30 जून 2013 को प्रधानाध्यापिका जूनियर हाईस्कूल के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं उन्हें सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त हुआ है तथा वर्तमान समय में वे पेंशनर तथा कृषक हैं। मेरी माता का पेंशन से सम्बंधित बचत खाता सं0–341702010081836 यूनियन बैंक आफ इण्डिया शाखा जलालपुर जौनपुर में है। मेरी माता के वेतन से सम्बंधित बचत खाता सं0– 414502010001486 बडौदा यू0पी0 बैंक शाखा कुसिया जौनपुर में रहा है तथा वर्तमान में भी है बड़ौदा यू0पी0 बैंक में विलय से पूर्व यह बैंक काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक की शाखा थी। मेरी माता उक्त दोनों खाता से संव्यवहार कर बड़ौदा यू0पी0 बैंक पूर्व बैंक काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक में विभिन्न तिथियों में रूपये–9,00,000/–स्वयं के तथा मेरे पिता श्री राम मनोहर गुप्ता के नाम फिक्स डिपोजिट कर रखा है। मेरी माता अपने उक्त खाते से रूपये–10,00,000/–उपहार स्वरूप उक्त सम्पत्ति को खरीदने हेतु देंगी। शेष रूपये–40,00,000/–प्रार्थी स्टेट बैंक आफ इण्डिया से 20 वर्ष के लिए ऋण लेगा जिसकी मासिक किस्त लगभग रूपये–30295/–मात्र होगी।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को बिन्दु संख्या–7 में वर्णित सम्पत्ति को खरीदने हेतु अनुमति के सम्बंध में आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमति प्रदान करवाने की कृपा करें।

आदर सहित।

दिनांक : 18/02/2022

भवदीय,

18/02/2022

(सत्यदेव गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
बरेली

संलग्नकः–

1) इकरारनामा की छाया प्रति।
(2) सत्यदेव गुप्ता के एस0बी0आई0 के बचत खाता सं0–11189160820 के पास बुक की छाया प्रति।
(3) श्रीमती लीलावती देवी के बड़ौदा यू0पी0 बैंक शाखा कुसिया जौनपुर पूर्व बैंक काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक की शाखा के बचत खाता सं0–414502010001486 पास बुक की छाया प्रति।
(4) श्रीमती लीलावती देवी के यूनियन बैंक आफ इण्डिया के बचत खाता सं0– 341702010081836 के पास बुक की छाया प्रति तथा स्टेटमेन्ट की प्रति ।
(5) फिक्स डिपाजिट की छाया प्रति।
(6) सहमति पत्र श्रीमती लीलावती देवी माता।
(7) ऋण सहमति पत्र स्टेट बैंक आफ इण्डिया।